



यूजेवीएन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

UJVN LIMITED

(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)

उपमहाप्रबन्धक (औसं०), यमुना भवन, यमुना कालोनी, देहरादून दूरभाष-0135-2530030 फैक्स 0135-2531646

Dy. General Manager (Industrial Relation), Yamuna Bhawan, Yamuna Colony, Dehradun Ph-0135-2530030 Fax No.0135-2531646

CIN No.U40101UR2001SGC025866

ISO 9001,14001 Certified

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा, यूजेवीएन लिमिटेड के कार्यालय ज्ञापन संख्या 33/UJVNL/05/DirectorHR/DGM(IR)/ Empanelment of Hospitals Dated: 05/02/2022 के अनुक्रम में **अमृतसर आई क्लिनिक, 122/1, ई०सी० रोड, देहरादून** को यूजेवीएन लिमिटेड के सेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक एवं उन पर पूर्णतया आश्रित परिजनतथा पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिशद/उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० जल विद्युतनिगम लि० के, वे सेवानिवृत्त कार्मिक जो यूजेवीएन लिमिटेड में आमेलित हैं एवंसेवारत/सेवानिवृत्त कार्मिक की मृत्यु कीअवस्था में उसकी आश्रित पत्नी (पारिवारिक पेंशनर) को **नेत्रचिकित्सा हेतु** चिकित्सालय में भर्ती केंदौरान/बाहय रोगी की हैसियत से उपचार कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय कीप्रतिपूर्ति हेतु **दिनांक 01.01.2022 से दिनांक 31.12.2023 तक 02 (दो)वर्ष के लिये** मान्यता विस्तारित की जाती हैं।

- उक्तचिकित्सालय संलग्न दर सूची सी०जी०एच०एस०, देहरादून 2014 (CentralGovernment Health Scheme) (Non-NABH & Non-NABL Rates) में दर्शाई गई दरों पर सम्बन्धितकर्मचारी/अधिकारी से सीधे भुगतान प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यय देयनहीं होगा।
- किसीकार्मिक द्वारा दर सूची में उल्लेखित रू० 30,000.00 से अधिक की राशि के **Procedure**चिकित्सक के अनुसार अत्यन्त आवश्यक होने की स्थिति में सम्बन्धितकार्मिक को यूजेवीएन लिमिटेड मुख्यालय से पूर्वानुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।जिसके लिए कार्मिक को उचित माध्यम से चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/परामर्श पत्र एवंआंकलन (Estimate) संलग्नकरते हुए यूजेवीएन लिमिटेड मुख्यालय को प्रार्थना पत्र प्रेषित पत्र करते हुए आवेदनकरना होगा, जिसकी पूर्वानुमति प्रदान किये जाने का अधिकार प्रबन्ध निदेशक काहोगा।
- चिकित्सालय की निम्नलिखित बिंदुओं केअनुपालन न करने पर उपरोक्त मान्यता कभी भी समाप्त की जा सकती है :-
 - मान्यता अवधि में चिकित्सालय प्रबन्धन द्वाराचिकित्सा दरों में कोई वृद्धि किये जाने पर।
 - किसी बिल में निर्धारित दरों से अधिक राशिलेने की शिकायत आने या शिकायत का समाधान न होने पर।
 - दरसूची में जो मद देय नहीं हैं, को अस्पताल के बिल में सम्मिलित किये जाने पर।
 - अस्पतालको पुलिस केस में, कन्ज्यूमर फोरम में अथवा न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
 - अस्पतालके विरुद्ध यूजेवीएन लि० के मरीजों द्वारा लापरवाही या असहयोग की शिकायत आने परअथवा उनका समाधान न होने पर।

चिकित्सालयप्रबन्धन को यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा सहमत दरों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेजाने एवं उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु सहमति रू० 100.00 के नानज्यूडीशियल स्टाम्प पर यह आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर उपलब्ध करानीहोगी। **(प्रारूप संलग्न)**

उपरोक्त संदर्भित आदेशों की शेष शर्तें यथावतरहेगी।

निदेशक (मा०सं०)

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- निजी सचिव, अध्यक्ष,यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- निजीसचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- निदेशक(परिचालन)/ (परियोजनाए)/ (वित्त)/ (मा०सं०),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- अधिशासीनिदेशक (जानपद)/ (वि०/ या०)/ (ओ०एण्डएम०)/ (वित्त)/ (मा०सं०), यूजेवीएन लिमिटेड,देहरादून।
- समस्तमहाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड को **इसअनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपनेस्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।**
- उपमहाप्रबन्धक, (कार्मिक),यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- उपमहाप्रबन्धक, (आई०टी०), यूजेवीएनलिमिटेड देहरादून को **निगम की वेबसाइट पर"चिकित्सालयों की मान्यता शीर्षक के अन्तर्गत" अपलोड करने हेतू।**
- कम्पनी सचिव, यूजेवीएनलिमिटेड, देहरादून।
- उप मुख्य लेखाधिकारी,सी०एस०पी०पी०ओ०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- वरिष्ठ विधि अधिकारी,यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
- चिकित्साधिकारी, मुख्यालययमुना भवन, देहरादून।

12. डा० दिनेश शर्मा,अमृतसर आई क्लीनिक, 122/1, ई०सी० रोड, देहरादून।
13. अध्यक्ष/महामंत्रीसमस्त यूनियन/एसोसिएशन।

(बबीता कोहली)
उपमहाप्रबन्धक (औ०सं०)